

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुशील कुमार

नव्युराम खादि

दावा वाबत :- 88 RJA C T

मुकदमा नम्बर :- 247/2021

निर्णय दिनांक :- 10-12-2021

वादी की ओर से वकील जयकिशन चौधरी की व प्रतिवादी सं० 142 की ओर से वकील नैरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

देवी प्रीजा अलायला के खाता सं० 137/133 के खासा सं० 72/2, 97, 118, 274, 276, 280 कुल 22-2200 हे० बारागाँव कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 नव्युराम के नाम से पञ्ज आदि हिस्से राजस्व खाता में नज है में से प्रतिवादी सं० 1 नव्युराम का नाम कलभजन किया जाकर वादी सुशील कुमार व प्रतिवादी सं० 2 रवीर सिंह को करिस्सा कराकर के खाताधार भादराकार घोषित किया जाते है मुक्ति प्रतिवादी सं० 1 ने अपना सम्पत्ति हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में टांग कर मुक्त कर लिया है इसलिए टांग किया जाये हिस्से पर पंजीयन किताब को पंजीयन मुक्त करा कर व यदि कृषि भूमि के रकब रखा है वा रकब रकब होने के उपरान्त से राजस्व खाता में अन्त दरामद किया जाये वादीनामा को डिक्री का नज पढा जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सिनिविर प्रभारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला- हनुमानगढ़
R.A.S.